निरीक्षण आख्या कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

भाग-प्रथम

1- **परिचयात्मकः-इस** इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री हिमांशु शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2017 से 14.08.2017 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी।

2.(i) इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- संपूर्ण हरिद्वार जनपद।

(अ) संप्रेक्षा अवधि में कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पदनाम-

(i) श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, जिला विकास अधिकारी

28 सितम्बर 2016 से अघतन

(ब) भौगोलिक क्षेत्र- 175.53 वर्ग किमी0

(स) जनसंख्या- 689270.00

2- आयोजित बैठकों की संख्या- 12

3- कर्मचारियों की संख्या-26

4- इकाई की सम्पत्तियां-चल एवं अचल सम्पत्ति

5- योजनाओं की संख्या-संलग्न सूची अनुसार।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार के स्थापना मद में विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन /व्यय का विवरण |

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष में प्राप्त धनराशि	वर्ष में व्यय धनराशि	बचत/अधिक्य
2017.18	191.82	191.82	0
2018.19	184.23	184.23	0
2019.20	201.07	201.07	0

कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट आबंटन/व्यय का विवरण|

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष में प्राप्तिया	कुल योग	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
विधायक निधि	2141.8	4125.0	6266.8	2926.05	3340.75
सामुदायिक विकास योजना	0	70.0	70.0	70.0	0
राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0	13.0	13.0	13.0	0
मेरा गाँव मेरी सड़क	0	0	0	0	0
मुख्य मंत्रि घोषणा	0	180.280	180.280	135.200	45.08
मनरेगा	0	172.63	172.63	172.63	0
ब्याज	0	5.057	5.057	5.057	0
योग	2141.8	4565.967	67.7.767	3321.94	3385.83

कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट आबंटन/व्यय का विवरण|

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष में प्राप्तिया	कुल योग	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
विधायक निधि	2216.75	4125	6341.75	4199.95	2141.8
सामुदायिक विकास योजना	0	61.81	61.81	61.81	0
राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0	7.26	7.26	7.26	0
मेरा गाँव मेरी सड़क	12.99	2.43	15.42	15.42	0
मुख्य मंत्रि घोषणा	0	0	0	0	0
मनरेगा	13.626	142.97	156.596	156.96	0
ब्याज	0	5.249	5.249	5.249	0
योग	2243.366	4344.719	6588.085	4446.285	2141.8

कार्यालय जिला विकास अधिकारी हरिद्वार वित्तीय वर्ष 2017-18 बजट आबंटन/व्यय का विवरण|

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष में प्राप्तिया	कुल योग	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
विधायक निधि	1654.1	4125.0	5779.1	3562.35	2216.75
सामुदायिक विकास योजना	15.0	60.0	75.0	75.0	0
राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम	0	0	0	0	0
मेरा गाँव मेरी सड़क	12.99	0	12.99	0	12.99
मुख्य मंत्रि घोषणा	0	0	0	0	0

मनरेगा	21.032	169.0	190.032	176.406	13.626
ब्याज	0	6.254	6.254	6.254	0
योग	1703.122	4360.254	6063.376	3820.01	2243.366

केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्तनिधि एवं व्यय का विवरणः

(धनराशि ₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवषेश	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवषेश
2017-18	राष्ट्रीय बायोगैस	10.59	0.00	10.59	0.00	10.59
	मनरेगा (प्रशासनिक मद)	21.03	169.00	190.03	176.41	13.62
	मनरेगा (कार्य मद)	12.82	4068.76	4081.58	4081.11	0.47
2018-19	राष्ट्रीय बायोगैस	10.59	7.26	17.85	10.59	7.26
	मनरेगा (प्रशासनिक मद)	13.62	142.47	156.09	156.09	0.00
	मनरेगा (कार्य मद)	0.47	4018.34	4018.81	4018.80	0.01
2019 -20	राष्ट्रीय बायोगैस	0	13.0	13.0	13.0	0
	मनरेगा	0	172.63	172.63	172.63	0

भाग-II (ब)

<u>प्रस्तरः01-</u> जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वाच्च प्राथमिकता के उलट अन्य निर्माण कार्यों पर अनियमित व्यय ₹ 141.09 लाख।

उत्तराखण्ड संख्या 284/125/रा.यो.आ./2018-19 दिनांक 22 फरवरी 2019 के द्वारा जिला योजना में प्रावधानित धनराशि के त्वरित व आवश्यकता अनुरूप व्यय हेतु समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देश निर्गत किए कि आपदा से क्षतिग्रस्त छोटे छोटे एवं कम लागत के कार्य जैसे चोटी पुलिया,पेयजल योजनाओ कि मरम्मत इत्यादि कार्यों को सर्वोछ प्राथमिकता के आधार पर जिला योजना में धनराशि आवंटित कि जाए। साथ ही निर्देश निर्गत किए कि राज्य में विभिन्न योजनाए संचालित है , इसके बाबजूद भी कुछ ग्राम/क्षेत्र विकासीय कार्यों से वंचित रह जा रही है। इस हेतु आवश्यक है कि जनपद पर Gap Analysis कि जाए तथा जिला योजना में उन क्षेत्र/ग्रामों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तथा ऐसे ग्राम जहां पर कोई योजना संचालित नहीं है ऐसे ग्रामो को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को स्वयं Gap Analysis की जिला योजना का निर्माण करना चाहिए। जिला योजना वर्ष 2018-19 की संरचना हेतु सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु सं. 16 में भी स्पष्ट है कि जिला योजना में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के छोटे अवस्थापना निर्माण, मरम्मत/ सुधार के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

सामुदायिक विकास योजना (जिला योजना) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वागीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है।

सामुदायिक विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के अंतर्गत विकास खण्ड रुड़की में कार्यालय भवन निर्माण लागत रु. 90.14 लाख एवं विकास भवन परिसर रोशनाबाद में सुदृढीकरण/विस्तारिकरण कार्य लागत रु. 95.00 लाख संशोधित लागत रु. 141.09 लाख के कार्य कराये गए। कराये गए उक्त कार्यों में निर्गत किए गए निर्देशों का अनुपालन किसी भी प्रकार से सुनिश्चित नहीं किया गया था जिससे ग्रामीण जीवन के सर्वागीण विकास तथा समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके।

उपरोक्त प्रकरण की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं उद्देश्यों के संबंध में इकाई द्वारा कोई तथ्यपरक उत्तर नहीं दिया गया अवगत कराया कि पत्रांक 2681/XI/14/56(37)2011 दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार उक्त कार्य कराये गए है। इकाई द्वारा कार्य के अनुमोदन के संबंध में एवं योजना से ग्रामीण स्तर के जीवन में होने वाले सर्वागीण विकास के संबंध में इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त पत्रांक वर्ष 2014 में निर्गत किया गया था जबकि सचिव महोदय द्वारा दिशा निर्देश वर्ष 2019 में निर्गत किए गए थे साथ ही उपरोक्त योजना कि सम्पूर्ण धनराशि मात्र भवनों के निर्माण में व्यय करने से योजना का मूल उद्देश्य प्राप्त करना किसी प्रकार से संभव नहीं है।

अत: जिला योजना के मूल उद्देश्यों एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के विपरीत योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता के उलट अन्य निर्माण कार्यों पर ₹ 141.09 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:02- ₹ 3.93 लाख का अनियमित क्रय एवं मनरेगा के प्रशासनिक व्यय मद से रु. 4.72 लाखका अनियमित व्यय किया जाना।

According to F.No, J-11060/11/2018-MGNREGA(RE-III) Sl.NO.18 Government of India, Ministry of rural Development, 5(g): This grant is toward plan expenditure and shall be utilized for approved items of works subject to the conditions laid down in the MGNREGA Guideline. No deviation from the provision of the Guidelines is permissible.

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना मनरेगा के दिशा निर्देशों 2013 के बिन्दु संख्या 12.5.2 के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और क्षमता विकास के लिए केंन्द्रीय सरकार वित्तीय वर्ष प्रशासनिक व्यय के रूप में मनरेगा के कुल व्यय का 6 प्रतिशत उपलब्ध करती है। केंन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त इस राशि से बिन्दु संख्या 12.5 में उल्लेखित अनुमेय कार्यकलाप ही कराये जा सकते है, जो मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के बिन्दु सं- 33.34 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर रु 25000 (रु पच्चीस हजार) से अधिक तथा रु0 2,500,00 (रु दो लाख पचास हजार) तक लागत की सीमा में क्रय के लिए कोटेशन अनिवार्य है|

कार्यालय में संचालित मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय से संबन्धित 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, बिल- बाउचर, क्रय की गयी सामाग्री से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की कार्यालय में बिना कोटेशन सामग्री क्रय की गई जिस का विवरण इस प्रकार है |

क॰सं	क्रय की गई सामग्री	वर्ष	धनराशि	दिनांक
1	Stationary	2017-18	51,099/-	13-03-2019
2.	LenovoAIO	2018-19	42,500/-	11.02.2019
3.	Projector	2018-19	93,000/-	1.03.2019
4.	Stationary	2018--19	48,193/-	16.03.2019
5.	Stationary	2018-19	41,748/-	4.06.2018
6.	Stationary	2018-19	37,196/-	24.12.2018
7.	ComputerAccessories	2018-19	30,090/-	18.3.2019
8.	SamsungMobilephone 950SB	2017-18	49,990/-	31.03.2018
	Total		393,807/-	

कार्यालय में संचालित मनरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय से संबन्धित 2017-18 से 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, बिल- वाउचर, क्रय की गयी सामग्री से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की कार्यालय में लेखा परीक्षा के दौरान ये भी पाया गया की वाहन नo UA08G2900 एवं गाडी संख्या UK08G2500 में पाया गया की वर्ष 2017-18 में डिज़ल/पैट्रोल पर व्यय रुo 525,144, वर्ष 2018-19 में डीजल/पैट्रोल पर व्यय रुo 107,218 किया गया है एवं वर्ष 2019-20 में उक्त मद में व्यय नहीं दर्शाया गया है साथ ही कार्यालय द्वारा वाहन की लौग बुक उपलब्ध नहीं कराई गयी एवं उपलब्ध कराई गयी सूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वाहन का प्रयोग किस कार्य हेतु किया गया है। जबकि इकाई में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाते है। परंतु उक्त मद में सम्पूर्ण व्यय मनरेगा के प्रशासनिक व्यय मद से किया गया है। इसके साथ साथ प्रशासनिक व्यय मद से कार्यालय के अन्य शासकीय कार्यों हेतु सामाग्री क्रय की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है|

वर्ष 2017-18

क्र0	क्रय की गयी सामग्री	वर्ष	शासकीय कार्य हेतु क्रय	धनराशि
1	Stationary	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	23946/-
2	Heater	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	31790/-
3	शासकीय कार्य	2017-18	शासकीय कार्य हेतु क्रय	87497/-
	कुल			143233/-

वर्ष-2018-19

क्र0 स0	क्रय की गयी सामग्री	वर्ष 2018-19	शासकीय कार्य हेतु क्रय	धनराशि
1	शासकीय कार्य हेतु		शासकीय कार्य हेतु क्रय	139455/-
2	Stationary		शासकीय कार्य हेतु क्रय	52804/-
	कुल			192259/-

वर्ष 2019-20

क्र0 स0	क्रय की गयी सामग्री		शासकीय कार्य हेतु क्रय	धनराशी
1.	शासकीय कार्य हेतु क्रय	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	47453/-
2.	CCTV repairing	2019-20	शासकीय कार्य हेतु क्रय	23720/-
	कुल			71179/-

प्रशासनिक व्यय मद से टेलीफोन पर व्यय के सम्बन्ध में इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से प्रकाश में आया कि मनरेगा के प्रशासनिक व्यय मद से मनरेगा कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे फोन के अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अन्य शासकीय कार्य हेतु उपलब्ध टेलीफोन का भुगतान भी किया जा रहा है। जिसका वर्षवार विवरण निमन्वत है:-

वर्ष	**फोन अधिकारी**	**भुगतान की गयी धनराशि**
2017-18	मुख्य विकास अधिकारी	25279/-
	जिला विकास अधिकारी	12686/-
2018-19	मुख्य विकास अधिकारी	9444/-
	जिला विकास अधिकारी	5404/-
2019-20	मुख्य विकास अधिकारी	6572/-
	जिला विकास अधिकारी	3766/-
योग		**63,151/-**

साथ ही प्रशासनिक व्यय मद से संबन्धित अभिलेखों की जांच में प्रकाश में आया कि इकाई द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर इनवाइस संख्या 1035 दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा रु. 49990/- का एक मोबाइल क्रय किया गया है एवं जांच में पाया गया कि प्रशासनिक व्यय मद से समाचार पत्र पर रु-3081/- का कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी हेतु व्यय किया गया है एवं रु- 63151/- का टेलीफोन पर कार्यालय व्यय किया गया है | जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार अस्वीकार्य है।

उपरोक्त प्रकरणों की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं इकाई द्वारा बताया गया की कोटेशन हेतु कार्य की अधिकता के कारण अनुपालन नहीं हुआ भविष्य में पालन किया जायेगा एवं वाहन का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु भी किया जाता है और वाहन का किराया मनरेगा प्रशासनिक मद से किया जाता है एवं वाहन की लॉगबुक वाहन चालक के पास रक्षित है जो कि आडिट अवधि के पूर्व से बिमार के कारण अर्जित अवकास पर है | उक्त कार्मिक के अवकाश के उपरान्त वाहन लॉगबुक अभिलेखार्थ प्रस्तुत कर दी जायेगी|

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के बिन्दु सं- 33.34 के अनुसार क्रय के लिए कोटेशन अनिवार्य है तथा मनरेगा के दिशा निर्देश 2013 एवं उपरोक्त वर्णित शासनादेश के अनुसार किसी भी योजना की धनराशि का प्रयोग उसी योजना के लिए करना चाहिए न कि किसी अन्य योजना के लिए जो कि शासनादेश में स्पष्ट बताया गया है|

अत: ₹ 3.93 लाख का अनियमित क्रय एवं मनरेगा के प्रशासनिक व्यय मद से रु.- 4.72 लाख का अनियमित व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:03 मुख्यमंत्री घोषणा व शासनादेश का पालन न करना एवं ₹ 180.28 लाख का निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना|

पत्रांक संO:-45/XXXV-4/2019-20-61(3)2019 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 देहरादून 05 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई बिन्दु सं.4. धनराशि ₹ 90.14 लाख जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी एवं बिन्दु सं 24. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-3-2020 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा |टीoएoसीo द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि के स्वीकृत की जा रही धनराशि से कम होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा|

पत्रांक संO:-46/XXXV-4/2019-20-61(4)2018 मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4 देहरादून 08 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई बिन्दु सं 4 धनराशि रुo 90.14 लाख जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी एवं बिन्दु सं 24. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-3-2020 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा |टीoएoसीo द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि के स्वीकृत की जा रही धनराशि से कम होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा|

कार्यालय जिला विकास अधिकारी में संचालित योजना मुख्यमंत्री घोषणा से संबन्धित वर्ष - 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की मुख्यमंत्री द्वारा 05 जुलाई 2019 को रु 90.14 लाख जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर हेतु विकासखण्ड कार्यालय भवन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी परंतु कार्यालय द्वारा भुगतान चैक संo729288 को दिनांक 03.02.2020 को 07 माह विलंब से किया गया एवं साथ यह भी पाया गया की मुख्यमंत्री द्वारा 08 जुलाई 2019 को रु 90.14 लाख जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र मंगलौर हेतु विकासखण्ड भवन का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी परंतु कार्यालय द्वारा भुगतान चैकसंo 729287 को दिनांक 03.02.2020 को 07 माह विलंब जिला विकास अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया|

उपरोक्त प्रकरणों की ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं इकाई द्वारा बताया गया की जिलाधिकारी HEAD में धनराशि प्राप्त होने के कारण धनराशि आहरण में विलंभ हुआ कार्य प्रगति पर है, पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी|

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि धनराशि को जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-3-2020 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा|

अत: मुख्यमंत्री घोषणा व शासनादेश का पालन न करना एवं ₹180.28 लाख का निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर04- राष्ट्रीय बायोगैस विकास संयंत्र स्थापना परियोजना के अंतर्गत राशि रु.13.0 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध न करना|

राष्ट्रीय बायोगैस विकास संयंत्र स्थापना परियोजना केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण एवं सेमी शहरी क्षेत्रो में बायोगैस संयंत्रो को स्थापित किया जाना होता है इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में खाना बनाने कि गैस एवं सफाई व्यवस्था को बढ़ावा देना है इस संयंत्र कि स्थापना एवं उपयोग करना पर्यावरण कि द्रष्टि से लाभकारी होता है। जिनके पास कम से कम 5 से 10 पशु होते है इस योजना के तहत लाभार्थी को राशि रु 13000/ की सब्सिडी दी जाती है जिसे सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाता है।

उपर्युक्त योजना से सम्बंधित अभिलेखों कि जाँच में पाया गया कि इस कार्यालय को वर्ष 2019-20 में राज्य शासन, ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी उत्तराखण्ड से राशि रु 13.0 लाख आबंटित कि गयी थी| यह राशि 5 विकास खण्ड कार्यलयो को निम्न प्रकार आबंटित की गयी थी| जिसे दिनांक 31.03.2020 तक खर्च कर लिया जाना था|

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.स.	खण्ड वि.कार्या.का नाम	आबंटित राशि
1	भगवानपुर	307000
2	रूडकी	204000
3	बहादराबाद	300000
4	लक्सर	100000
5	खानपुर	389000
	योग=	1300000

कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार के बायोगैस योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त आवंटित ₹ 13.0 लाख की धनराशि जिला विकास अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 2368/लेखा-2/रा.बा.कार्यक्रम/2018-19 दिनांक 20 जनवरी 2020 तथा पत्र संख्या 59/लेखा-2/रा.बा.कार्यक्रम/2019-20 दिनांक 11 मई 2020 द्वारा 05 विकास खण्डों को आवंटित की गई थी। आगे लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त विकास खण्डों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष जिला विकास कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त की गई थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त होने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अवमुक्त राशि खंड विकास कार्यालयों द्वारा खर्च की जा चुकी है अथवा खंड विकास कार्यालयों के खाते में अवशेष पड़ी हुई है तथा बायोगैस योजना के उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी, जिनके लिए योजना मूलतः प्रस्तावित की गई थी।

उक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र न प्रेषित किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि विकास खण्डों से शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करा दिए जायंगे। **उत्तर मान्य** नहीं है

क्योंकि उक्त आवंटित धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र विकास खण्डों से पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, बायोगैस योजनान्तर्गत ₹ 13.0 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विकास खण्डों से प्राप्त कर शासन को प्रेषण न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

<u>प्रस्तर:05-</u> धनराशि ₹ 187 लाख अवरूद्ध रखना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवं दिनॉक 05.12.2017 के अनुसार विधायक निधि के मार्गदर्शी-सिद्धान्तों विषयक एकीकृत परिपत्र निर्गत किया गया था जिसमें प्रस्तर सं. 7.1 प्रशासनिक व्यय के बारे में यह उल्लेखित किया गया था कि विधायक निधि के सफल क्रियान्वन अनुश्रवण मुल्यांकन एवं समाजिक सम्प्रेक्षण हेतु नोडल विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु विधायक निधि की जारी धनराशि का 2 प्रतिशत वार्षिक व्यय किया जायेगा।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी जनपद-हरिद्वार के विधायक निधि के निर्माण कार्यो से सम्बन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि विगत तीन वित्तीय वर्ष 2017-18 2018-19 एवं 2019-20 में प्रशासनिक मद में क्रमशः धनराशि रू 22 लाख रू 82.50 लाख एवं रू 82.50 लाख (अर्थात कुल रू 187 लाख) विभाग को प्राप्त हुआ था जिसे पी.एल.ए. खाता सं. 8448001200500 में अवरूद्ध रखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उपर्युक्त तथ्यों एवं ऑकडों को पुष्टि करते बताया गया कि शासन द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण पी.एल.ए. में धनराशि अवरूद्ध रखा गया। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं. 2023 एवं दिनॉक 05.12.2017 के प्रस्तर सं. 7.1 अनुसार के विधायक निधि के सफल क्रियान्वन अनुश्रवण मुल्यांकन एवं सामाजिक सम्प्रेक्षण पर प्रशासनिक मद में काटी गई धनराशि से व्यय किया जायेगा फिर भी शासन से अलग से दिशा-निर्देश की प्रत्याशा में उक्त धनराशि को अवरूद्ध रख्रना उक्त शासन के विपरीत था।

अतः धनराशि ₹187 लाख अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-III</u>

(क) परिचयात्मक: कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-हरिद्वार के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक की संप्रेक्षा श्री ए. के. भारतीय,व.ले.प.अधिकारी.के पर्यवेक्षण में श्री के.पी. सिंह,स.ले.प.अ., श्री बरुण शर्मा,स.ले.प.अ. तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, स.ले.प. अ.(त)द्वारा दिनांक 02-11-2020 से 07-11-2020 तक संपादित की गयी |

(क) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

क्रमसंख्या	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग 2 (अ) के प्रस्तर	भाग 2 (ब) के प्रस्तर	STANके प्रस्तर	TAN के प्रस्तर
01	61/2019-20	--	1,2,3,4,(क)(ख) 5,	--	--

(ख)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षाप्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
61/2019-20		अप्रस्तुत	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा प्रत्येक माह मासिक प्रगति रिपोर्ट को बनाया जा रहा था।

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2- लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गए-

3- सतत अनियमितताएं-

(i) शून्य

4- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान	जिला विकास अधिकारी	28.09.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार, **स्थानीय निकाय, कार्यालय प्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195** को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-I